बिल का सारांश

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2018

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 23 जुलाई, 2018 को लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2018 पेश किया। यह बिल लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 में संशोधन करता है। यह एक्ट उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में रखकर उन्हें रेगुलेट करता है।
- एक्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निवेश के आधार पर वर्गीकृत करता है: (i) मैन्यूफैक्चरिंग या वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और (ii) सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों को उपकरणों में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बिल सभी एमएसएमईज़ के वर्गीकरण का एक आधार प्रस्तावित करता है। बिल के अंतर्गत सभी एमएसएमईज़ को, चाहे वे मैन्यूफैक्चरिंग करते हों या सेवाएं प्रदान करते हों, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।
- तालिका 1 में एमएसएमईज़ के वर्गीकरण में प्रस्तावित परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों का वर्गीकरण (रुपए में)

उद्यम का प्रकार	2006 का एक्ट		2018 का बिल
	मैन्यूफैक्चरिंग	सेवाएं	सभी उद्यम
	संयंत्र और मशीनरी में निवेश	उपकरण में निवेश	वार्षिक टर्नओवर
सूक्ष्म	25 लाख	10 लाख	5 करोड़
लघु	25 लाख से 5 करोड़	10 लाख से 2 करोड़	5 से 75 करोड़
मध्यम	5 से 10 करोड़	2 से 5 करोड़	75 से 250 करोड़

- केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिए वार्षिक टर्नओवर की इस सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अधिकतम टर्नओवर बिल में निर्दिष्ट सीमाओं से तीन गुना अधिक हो सकता है।
- एक्ट के तहत केंद्र सरकार सूक्ष्म, छोटे या ग्रामीण उद्योगों को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। बिल सूक्ष्म, छोटे या ग्रामीण उद्योगों को लघु के साथ-साथ मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत करने के लिए इस दायरे को बढ़ाए जाने का प्रावधान करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

आहिता पॉल
ahita@prsindia.org

25 जुलाई, 2018